महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accreditated with 'A' Grade by NAAC

डॉ. शोभा पालीवाल / Dr. Shobha Paliwal
समन्वयक, आईक्यूएसी / Co-ordinator, IQAC
दूरभाष/Phone: +91 7387812625

क्र. : 062/2014/ IQAC/2018-19/01/431

दिनांक : 29.05.2019

सूचना

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार समस्त संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की 11वीं बैठक 27 जून, 2019 को सुनिश्चित की गई है। अतः जिन संकाय सदस्यों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत प्रमोशन देय हैं वे अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर समस्त दस्तावेज़ों के साथ संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।

विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक नियमानुसार विभागीय समिति की अनुशंसा के साथ एक प्रति स्थापना एवं प्रशासन विभाग तथा एक प्रति आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : नियमावली।

29/05/19

(शोभा पालीवाल)

प्रति : समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. स्थापना एवं प्रशासन विभाग।
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. कार्यालय प्रति

पोस्टः हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442005 (महाराष्ट्र), भारत
PO: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442 005 (Maharashtra), INDIA
ई-मेल/E-mail: shobhapaliwal95@gmail.com; वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org

मद संख्या

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की 12 जुलाई 2014 को हुई दूसरी बैठक (आकस्मिक) के कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन

यह बैठक माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2014 को प्रात: 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ सभाकक्ष में सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था।

कार्यवृत्त की प्रति आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन किया गया।

मद संख्या - 2

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में की गई कार्रवाई।

1. CAS के अंतर्गत आवेदन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुरूप एक चेक लिस्ट बनाई जाए, ताकि भविष्य में आवेदन और स्क्रीनिंग करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस संबंध में स्थापना अनुभाग द्वारा एक चेक लिस्ट प्रस्तुत की गयी।

निर्णय : किसी भी शैक्षणिक कर्मी द्वारा CAS के अंतर्गत आवेदन–पत्र को सर्वथा पूर्ण कर सर्वप्रथम विभाग में जमा करना होगा। तदुपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष, विभाग के दो अन्य सदस्यों (जो आवेदक न हों) को सम्मिलित करते हुए एक समिति के गठन का प्रस्ताव बनाकर संकायाध्यक्ष के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त गठित समिति शैक्षणिक कर्मी के CAS के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्र पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के आलोक में विचार कर रिपोर्ट देगी। CAS के आवेदन पर विभागाध्यक्ष **'संस्तुति सहित अग्रेषित'** टिप्पणी के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु एक प्रति IQAC तथा एक प्रति स्थापना एवं प्रशासन विभाग को प्रेषित करेंगे।

इस संदर्भ में एक कार्यालयादेश जारी किया जाए।

CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र की जांच सूची के बिंदु निम्नानुसार निर्धारित किये गये जिनकी जांच स्वयं आवेदक को करनी होगी और यदि इनका समुचित उत्तर है तभी आवेदन विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(क) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित प्रारूप पर भरा गया है?

192

(ख) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र के सभी संबंधित बिंदु पूर्णतः भरे गए हैं?

(ग) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र के जो बिंदु अभ्यर्थी से संबंधित नहीं हैं, उन्हें एक सीधी रेखा से काट दिया गया है?

(घ) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र अपने समस्त संलग्नकों सहित स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ है?

(ङ.) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र समस्त संलग्नकों सहित दो प्रतियों में है?

(च) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र की सॉफ्ट कॉपी Writable C.D. में भी दी जा रही है?

(छ) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र के अंदर जहां कहीं भी सेमीनार, वर्कशाप का विवरण दिया गया है, वहां उन कार्यक्रमों के आयोजन की तिथि एवं वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित की गई है?

(ज) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र के अंदर जहां कहीं भी विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों आदि का विवरण दिया गया है। वहां पर स्पष्ट रूप से उनके प्रकाशित होने के स्थान, वर्ष और अंक आदि का ब्यौरा, ISSN/ISBN, प्रकाशक आदि का स्पष्ट उल्लेख है?

(झ) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र के अंदर दिए गए विवरणों के अनुसार संलग्नक नियत स्थान पर लगाए गए हैं?

(ण) क्या उल्लिखित विवरणों के सम्मुख एवं संलग्नकों पर संलग्नक क्रमांक स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से अंकित हैं?

(त) क्या CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र का प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रत्येक संलग्नक तिथि सहित हस्ताक्षरित किया गया है?

स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत आवेदक निम्नलिखित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेंगे:–

CAS के अंतर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन–पत्र से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को मैंने भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है और मैं इस बात से अवगत हूँ कि CAS के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन–पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर अस्वीकार किया जा सकता है, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थानः ....

दिनांक :................

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पूरा नाम –

विभाग–

2. स्टूडेंट फीडबैक के लिए विश्वविद्यालय अपना प्रारूप तैयार करे और अध्यापन कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उसे विद्यार्थियों से भरवाए। प्रारूप में छात्र के नाम का किसी भी रूप में जिक्र न हो। विद्यार्थियों द्वारा भरे गए फीड बैक प्रारूप आंतरिक गुणवत्ता विनिश्चयन के लिए होंगे लेकिन इनका उपयोग शिक्षकों के किसी भी औपचारिक/अनौपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाएगा। फीडबैक का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : फीडबैक फॉर्म के बिंदु संख्या 02 में आंशिक परिवर्तन कर उसे लागू करने के लिए स्वीकृत किया गया।